न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

वहक श्री गोटे पुस्पलाल राठौड़ / 5
पुत्र श्री भिमसिंह
जाति राजपूत नि. भील भकरी
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 17 / 2018

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भील भकरी खसरा नम्बर 324 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गै. मुमकिन (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री गोटे पुस्पलाल राठौड़ पुत्र श्री भिमसिंह जाति राजपूत निवासी भील भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस परिवार के सदस्य से तामील शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भील भकरी ख.न. 324 रकवा 2.43 किस्म गै. मु. पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 प्रति है. 2.43 का 50 गुणा रूपया 729 (रूपये सात सौ उन्नतीस रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

रोजनामचा वर्ष 2018-19 पृष्ठ सं. 54 पर राशि 729/- .... की ....

तहसील [illegible] लेखाकार

Scanned by CamScanner